भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3663

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

नासिक में ईएसआईसी सेवाएं

3663. **श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे;**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नासिक (सतपुर) में ईएसआईसी सेवाओं में जारी चुनौतियों से अवगत है, जिनमें सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान में देरी, मानव संसाधन की कमी ओर उद्योग मानक संसाधन विभागों की लापरवाही के कारण बीमित कारखाना श्रमिकों के रिकॉर्ड का गायब होना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लंबित भुगतानों को हल करने, नियमित निधि संवितरण सुनिश्चित करने और नासिक जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ईएसआईसी के तहत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है जो सटीक कर्मचारी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, जिससे श्रमिक ईएसआईसी लाभों से वंचित हो जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नासिक (सतपुर) ईएसआईसी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय पर सेवाएं, पारदर्शिता ओर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधार किए जाने की योजना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम 1948 में दी गई परिभाषा के अनुसार, 21000/- रुपये प्रतिमाह (नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/-रुपये) तक वेतन पाने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और कर्मचारियों के परिवार के सदस्य ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत कवर्ड हैं। कवर न किए गए कारखानों/इकाइयों/प्रतिष्ठानों की कवरेज के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाए जाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कवर किए जाने योग्य इकाइयों की पहचान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे विभागों और अन्य सरकारी कार्यालयों से डाटा को ट्रिएंगुलेट करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कवर न किए गए कर्मचारियों की कवरेज को बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी (एसपीआरईई) के पंजीकरण को बढ़ावा देना, नामक एक योजना भी शुरू की गई है।

जारी...2/-

वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में, सतपुर, नासिक में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) अस्पताल कार्यरत है। इस ईएसआईएस अस्पताल में स्वीकृत पदों की संख्या 241 है, जिनमें से 126 पद भरे हुए हैं। चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ आदि के पदों को ठेका पर भरा गया है। इस ईएसआईएस अस्पताल के अलावा, द्वितीयक देखभाल के लिए 4 अस्पतालों और सुपर-स्पेशियलटी सेवाओं के लिए 8 अस्पतालों के साथ भी टाई-अप व्यवस्था है।

सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट (एसएसटी) बिलों की प्रोसेसिंग एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआई निगम मुख्यालय एसएसटी बिलों की प्रोसेसिंग को मॉनीटर करता है और निपटान में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित नियमित निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

समय पर सेवाएं, पारदर्शिता और ईएसआईसी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, पेशेंट रिकॉर्ड, फार्मेसी निर्गमन और स्टॉक इंवेंटरी सहित चिकित्सा सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए धन्वंतरि मॉड्यूल के कार्यान्वयन के निर्देश जारी किए गए हैं।

*****